भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4031
दिनांक 25 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

दूध में मिलावट

4031. श्री पी. सी. मोहनः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राज्यों में दूध में मिलावट संबंधी अलग-अलग प्रथाओं से निपटने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट कार्यनीतियों को कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कम सुविधा वाले और ग्रामीण क्षेत्रों में दूध की गुणवत्ता के त्वरित परीक्षण और निगरानी को बढ़ाने के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल का किस हद तक उपयोग किया गया है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दुग्ध आपूर्ति श्रृंखला में मिलावट का पता लगाने और पारदर्शिता लाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या देश में दूध और डेयरी उत्पादों के लिए समान गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने हेतु एफएसएसएआई, राज्य सरकारों और डेयरी सहकारी समितियों के बीच सहयोग बढ़ाने की योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) भारत सरकार ने खाद्य से संबंधित कानूनों को एकीकृत करने और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्थापना करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (FSS) अधिनियम- 2006 लागू किया है। एफएसएसएआई, खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करता है और उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करता है, ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। एफएसएस अधिनियम का कार्यान्वयन और प्रवर्तन राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के माध्यम से एफएसएसएआई द्वारा किया जाता है। एफएसएसएआई केंद्रीय रूप से विनियमित खाद्य व्यवसायों के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से नियमित रूप से मॉनिटरिंग कार्याकलाप जैसे निरीक्षण, लेखा परीक्षा, निगरानी और यादृच्छिक नमूनाकरण करता है, ताकि इस अधिनियम और उसके विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। एफएसएसएआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में "राष्ट्रीय वार्षिक निगरानी योजना" शुरू की है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी स्थानीय आवश्यकताओं, खाद्य प्रवृत्तियों, उपभोग की आदतों तथा मिलावट संबंधी मुद्दों के आधार पर स्वतंत्र निगरानी और प्रवर्तन कार्यकलाप भी करते हैं। एफएसएसएआई मुख्य खाद्य पदार्थों (स्टेपल फूड) और मिलावट की संभावना वाली अन्य वस्तुओं की समय-समय पर अखिल भारतीय निगरानी भी करता है।

(ख) एफएसएसएआई के अनुसार, मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं (एमएफटीएल) जिन्हें "फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स" (एफएसडब्ल्यू) भी कहा जाता है, विशेष रूप से गांवों, कस्बों और दूरदराज के क्षेत्रों में खाद्य परीक्षण, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वर्तमान में, 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 285 एफएसडब्ल्यू कार्यरत हैं। ये इकाईयां

महत्वपूर्ण गुणवत्ता मापदंडों जैसे वसा, एसएनएफ, प्रोटीन और मिलावटों जैसे पानी, यूरिया, सुक्रोज, माल्टोडेक्सट्रिन, अमोनियम सल्फेट आदि की मौके पर जांच के लिए "मिल्क-ओ-स्क्रीन" उपकरण सहित आवश्यक अवसंरचना से लैस हैं। इसके अतिरिक्त, एफएसडब्ल्यू अन्य खाद्य उत्पादों का बुनियादी मिलावट परीक्षण करने में भी समर्थ हैं।

(ग) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार, कच्चे माल की खरीद से लेकर उपभोक्ताओं तक तैयार माल की डिलीवरी तक खाद्य उत्पादों की पूरी ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए खाद्य व्यापार संचालक (एफबीओ) प्राथमिक रुप से जिम्मेदार हैं। उन्हें पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में उचित रिकॉर्ड और दस्तावेज बनाए रखने की आवश्यकता है। निरीक्षण और लेखा परीक्षा के समय उपरोक्त अपेक्षाओं के अनुपालन का सत्यापन किया जाता है और उल्लंघन के मामले में, उचित नियामक कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, पशुपालन और डेयरी विभाग "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)" लागू कर रहा है, जो गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के लिए अवसंरचना को स्थापित करने और उसे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। एनपीडीडी सहकारी समितियों और दूध उत्पादक संस्थानों को स्वचालित दूध संग्रह इकाई (एएमसीयू) और डेटा प्रसंस्करण दूध संग्रह इकाई (डीपीएमसीयू) की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे गांव स्तर पर दूध संग्रह में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

(घ) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 में दूध और दूध उत्पादों के लिए मानक निर्धारित किए हैं। ये मानक पूरे देश में डेयरी सहकारी समितियों सहित सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) पर अनुपालन के लिए समान रूप से लागू हैं। एफएसएसएआई नए मानक बनाते समय या मौजूदा मानकों में संशोधन करते समय, आम जनता और हितधारकों से फीडबैक और सुझाव आमंत्रित करने के लिए मसौदा अधिसूचनाएँ जारी करता है। डेयरी सहकारी समितियों से प्राप्त इनपुट सहित, प्राप्त फीडबैक की समुचित रुप से समीक्षा की जाती है और मानक-निर्धारण प्रकिया के दौरान उन पर विचार किया जाता है।

****